**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय ,कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।**
**उपस्थितः श्री अलख कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP3826**
**द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–996/2026**
**UPMH010032032026**

जाबिद अली पुत्र जलालुद्दीन उम्र 24 वर्ष निवासी पल्हीपार बाबू, थाना खजनी जनपद गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य,

.....अभियोगी

अपराध संख्या–112/2026
धारा–2(b)(i)/3(1)उ0प्र0 गिरोहबंद समाज
विरोधी क्रियाकलाप(नि0)अधि0
थाना–भिटौली, जनपद–महराजगंज

अधिवक्ता अभियुक्त– श्री अविनाश
अधिवक्ता राज्य–श्री सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी
विशेष अभियोजन अधिकारी, गैंगेस्टर एक्ट।

**निस्तारण द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र**

**30.07.2026**

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त **जाबिद अली** पुत्र जलालुद्दीन की ओर से अपराध संख्या–112/2026 धारा–2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना–भिटौली जनपद–महराजगंज में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अमिदन की ओर से इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि वह अभियुक्त की मां और पैरवीकार मुकदमा है। अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 02.07.2026 को इस न्यायालय द्वारा बल न दिये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

2. उपरोक्त द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं दस्तावेजों का सम्यक अवलोकन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से जमानत का यह आधार लिया गया है कि "प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है कोई जुर्म नहीं किया है फर्जी तरीके से उपरोक्त मामले में फंसा दिया गया है। तथाकथित अपराध में आरोपित धारायें तत्वों के अभाव में आयत नहीं होती है। तथाकथित अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी बिलम्ब से अंकित कराया गया है जिसका स्पष्टीकरण देने में अभियोजन पक्ष विफल रहा है। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा गैंग चार्ट में वर्णित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। गैंग चार्ट फर्जी तौर पर प्रार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए तैयार कराया गया है, प्रार्थी ने कत्तई तौर पर गैंग चार्ट में वर्णित अन्य सह अभियुक्तगण के

साथ मिलकर आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गैंग चार्ट में मुकदमा सं.199/2025 धारा 318 (4) 317 (2), 3 (5) बी.एन.एस. मु.अ.सं. 137/2025 धारा 318 (4) 317 (2). 3 (5) बी.एन.एस, मु.अ.सं. 213/2026 धारा 313., 317 (2), 317 (4) 3 (5) बी.एन.एस., थाना भिटौली जनपद महराजगंज के मामले में जमानत पर हैं। इसी प्रकार मुकदमा अपराध संख्या 327/2025 धारा 318 (4), 3 (5) बी.एन.एस, थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के मामले में जमानत पर हैं। प्रार्थी काफी गरीब एवं घर का तनहा व्यक्ति है। प्रार्थी जमानत पर छूटकर अपने रोजी रोजगार में व्यस्त हैं स्थानीय थाना भिटौली, जनपद महराजगंज की पुलिस द्वारा अपनी कारगुजारी दिखाने हेतु गलत तरीके से प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। गैंग चार्ट में उल्लिखित उपरोक्त अपराध अत्यंत ही कम दिनों के अंदर लगातार दर्ज हैं, प्रार्थी इस तरह के किसी भी अपराध में लिप्त नहीं रहा हैं। स्थानीय थाना भिटौली की पुलिस द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त का किसी मुकदमे में न तो सजा हुई है और न ही कोई मुकदमा बिचाराधीन है। प्रार्थी दिनांक 28-06-2026 को स्थानीय थाना भिटौली की पुलिस पकड़ कर चालान कर दी है। प्रार्थी/अभियुक्त संभ्रान्त परिवार के व्यक्ति है जिसके न्याय से भागने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्तों का अक्षरशः पालन करेगा। उक्त मुकदमा के बाबत प्रार्थी का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 02.07.2026 को इस न्यायालय द्वारा बल न दिये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया था इसके अलावा न तो प्रार्थी की कोई नियमित जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन ही है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी की जमानत दरख्वास्त स्वीकृत कर जमानत मोचलके पर रिहा किया जाना समीचीन है तथा प्रार्थी अपनी स्थानीय जमानत देने को तैयार है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की जमानत दरख्वास्त स्वीकार कर जमानत मोचलके पर रिहा करने की कृपा करें।"

5. वहीं दूसरी ओर अभियोजन पक्ष द्वारा द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुकदमा अपराध संख्या-199/2025 धारा-318(4), 317 (2), 3 (5) बी.एन.एस., मुकदमा अपराध संख्या-137/2025 धारा-318 (4), 317 (2), 3 (5) बी.एन.एस, मुकदमा अपराध संख्या-213/2026 धारा 313, 317 (2), 317 (4) 3 (5) बी.एन.एस., थाना भिटौली, जिला महराजगंज और मुकदमा अपराध संख्या 327/2025 धारा-318 (4), 3(5) बी.एन.एस थाना कोतवाली जिला महराजगंज में दर्ज मुकदमे के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा–2(b)(i)/ 3(1)उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त मामले में जमानत मिलने के पश्चात अभियुक्त अपने निवास स्थान से फरार चल रहा था। इसके कारण मु0अ0सं0–112/2026, धारा–2(b)(i)/ 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, के अन्तर्गत विवेचना में विलम्ब हो रहा था। प्रस्तुत मामले की विवेचना प्रचलित है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के पूर्ववर्ती आचरण को देखते हुए अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो इस मामलें की विवेचना समयावधि में पूर्ण नहीं हो पायेगी एवं अभियुक्त के द्वारा इस प्रकार के अन्य घटना भी कारित किये जाने की प्रबल सम्भावना है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का तर्क अभियुक्त के पूर्ववर्ती आचरण को देखते हुए उचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्तगण अर्जुन, दिलदार और धनन्जय का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 02.07.2026 को इस न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। अभियुक्त पर मुकदमा अपराध संख्या-199/2025, मुकदमा अपराध संख्या-137/2025, मुकदमा अपराध संख्या-213/2026 मुकदमा अपराध संख्या 327/2025 के आधार पर गैंगेस्टर एक्ट में कार्यवाही हुई थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को

दोषमुक्त किये जाने का कोई अभिकथन नहीं है, न ही दोषमुक्ति के संबंध में कोई प्रपत्र दाखिल किया गया है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण में धारा 19(4) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 अति महत्वपूर्ण है।

7. उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 19(4) में प्रावधान है कि उक्त अपराध के अंतर्गत यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो उसे तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि–(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता और (ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय का समाधान हो जाये कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

8. गैंग चार्ट में उल्लेखित अपराध की प्रकृति, तथा धारा 19(4) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय को यह समाधान नहीं हो पा रहा है कि अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके अपराध करने की संभावना नहीं है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत दिये अभियुक्त को जमानत दिया जाना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

9. आवेदक/अभियुक्त **जाबिद अली** पुत्र जलालुद्दीन की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र–996/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः30.07.2026

**(अलख कुमार)**
आई.डी. नम्बर–यू.पी.3826
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–2,
महराजगंज।

Digitally signed by ALAKH KUMAR
Date: 2026.08.01 15:12:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court